532 (6) 528

Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number :	adcc72ad715e0e91eceb
Receipt Date :	08-Jun-2023 03:51:26 pm
Receipt Amount :	48000/-
Amount In Words :	Forty Eight Thousands Rupees Only
Token Number :	202300074987
Office Name :	SRO - Simdega
Document Type :	Sale Deed
Payee Name :	PUSHPA NIRMALA BARA (Vendee)
GRN Number :	2317631831

-: For Office Use :-

13.6.23

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस रसीद के माध्यम से पूर्व में किसी प्रकार की सेवा नहीं ली गई है। पुष्पा निर्मला बाड़ा 13.06.2023

भारतीय स्टाम्प अधिनियम ... (एक्ट) 1899 की ...

13.6.23

Fee Paid

A1 ....86000/-

Land Lord Fee 03/-

Process Fee 01/-

Valuation Per Decimals

Land ....60,000/-........

विक्रय सम्पति प्रतिबन्धित भूमि की सूची के अन्तर्गत नहीं है।

विकय पत्र

परमिशन वाद संख्या 30 / 2023–24 आदेश दिनांक 30.05.2023

(1) **लेख्यकारीः**– श्री विजय एडविन बाड़ा उम्र 52 वर्ष पिता स्व0 इग्नेश बाड़ा, दादा स्व0 मरकुश उरॉव, श्रेणी– अनुसूचित जनजाति (सी.एन.टी.एक्ट 1908 के अन्तर्गत आक्षादित हैं), पेशा– नौकरी, निवास ग्राम– गोतरा कुबीटोली, थाना– सिमडेगा, जिला– सिमडेगा, राज्य झारखण्ड, राष्ट्रीयता– भारतीय नागरिक ।

मो0 नं0 9693176256 आधार संख्या XXXX XXXX 4912

पैन नं0 ए.डब्लू.एक्स.पी.बी. 5165 जी.

.............बिकेता ।

शपथ–पत्र संख्याः– 372/2023

होल्डिंग नं0 0020001156000एम.0

मूल पहचान पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र से मिलान किया, सही पाया

मार्ग दर्शिका पंजी से मिलान किया गया।

विजय कुमार ... [illegible]
6/6/23
13/6/23

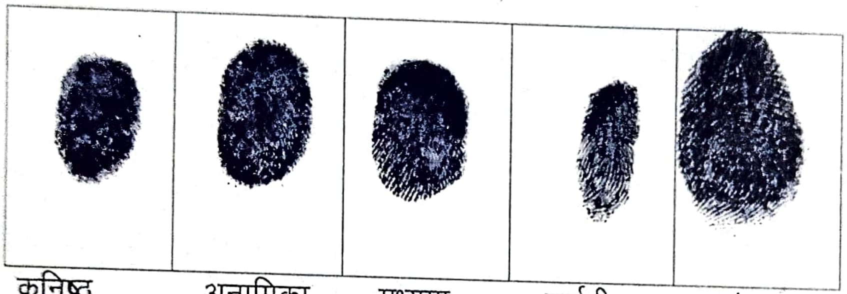

कनिष्ठ	अनामिका	मध्यमा	तर्जनी	अंगुठा

13-06-2023

...... ई॰ का ......
...... के अवर निबन्धन कार्यालय
...... में लेखकारी था लेखधारी
...... मुख्तार जो मन ......
...... व्यक्ति सत्य। ......
...... के पिता ......
...... द्वारा प्रमाणीकृत है। ......
...... [illegible] ......
...... [illegible] ......
...... [illegible] ...... थाना ...... [illegible]
......

(2) लेख्यधारिणीः— सुश्री पुष्पा निर्मला बड़ा उम्र 48 वर्ष, पिता स्व0 इग्नेश बड़ा, दादा स्व0 मरकुश उरॉव, श्रेणी— अनुसूचित जनजाति (सी.एन.टी.एक्ट 1908 के अन्तर्गत आक्षादित हैं), पेशा— नौकरी, निवास ग्राम— गोतरा कुबीटोली, थाना— सिमडेगा, जिला— सिमडेगा, राज्य झारखण्ड, राष्ट्रीयता भारतीय नागरिक ।

मो0 नं0 8847824594 आधार संख्या XXXX XXXX 5073

पैन नं0 बी.एक्स.सी.पी.बी. 7337 के.

.... केतिका ।

शपथ—पत्र संख्याः— 373/2023

(3) लेख्यप्रकारः— विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

(4) मूल्यः— मोबलिग बारह लाख रूपये अंके 12,00,000/— रूपये होता है ।

(5) सम्पतिः— संरचना रहित आवासीय जमीन अन्दर मौजा— गोतरा भूडूटोली, वार्ड नं0 2, थाना— सिमडेगा, थाना नं0 80, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला— सिमडेगा के खाता नं0 254 (दो सौ चौवन) प्लॉट नं0 4126 (एकतालीस सौ छबीस) रकबा 0.20 एकड़ (बीस डिसमिल) आवासीय जमीन जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है । जिसका माप—उत्तरी भुजा— 64 फीट, दक्षिणी भुजा—76 फीट, पूरबी भुजा—125 फीट, पश्चिमी भुजा— 125 फीट है ।

मौजा	थाना	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
गोतरा भूडूटोली	सिमडेगा	80	254	4126	0.20 एकड़

जिसका चौहद्दीः—

उत्तरः— टांड़ इसी प्लॉट का अंश नीज बिकेता,

दक्षिणः— इसी प्लॉट में छोड़ा गया 5 फीट का कच्चा रास्ता,

पूरब :— टांड़ कामील खड़िया,

पश्चिमः— घेरा मकान एग्नासियूस सोरेंग एवं टांड़ मंगरू बाड़ा ।

पुष्पा निर्मला बाड़ा

पिता स्व0 इग्नेश बाड़ा, ग्राम कुबीटोली थाना- सिमडेगा जिला- सिमडेगा 6/6/23

मालगुजारी 1.00 रूपया (एक रूपया) अलावे सेस सलाना ।
मैं घोषणा करता हूँ कि उक्त वर्णित जमीन को पूर्व में बिक्री, लीज, बंधक, एकरारनामा, दान नहीं किया हूँ ।

(1) चुँकि मुझ लेख्यकारी को मकान बनाने एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

(2) इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पॉच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

(3) मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित विक्रीत जमीन खतियानी कायमी है । खतियान में मेरे परदादा सुखा उरॉव के नाम से नाप दर्ज है । मेरे परदादा, दादा एवं पिताजी का निधन हो चुका है । उनकी मृत्यु के पश्चात उपरोक्त वर्णित जमीन हम भैयादों के मध्य आपसी मौखिक भैयादी बंटवारा हो चुका है । जो जमीन मैं बेच रहा हूँ मुझे आपसी मौखिक भैयादी बंटवारा में हिस्सा में प्राप्त है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है । मालगुजारी रसीद मेरे दादा के बड़े भाई मंगरा उरॉव वगैरह के नाम से कटता है जो पंजी ।। के भोल्युम 2 के पृष्ठ संख्या 100 में दर्ज है ।

(4) चुँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं । अतः जमीन खरीद बिकी हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 30/2023—24 है, जिसकी स्वीकृति दिनांक 30.05.2023 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं0 236 (II) दिनांक 30.05.2023 है ।

(5) अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काविज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

(6) इसलिए यह विकय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

उक्त बिकी की जानेवाली जमीन भू—हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भु—दान, बंदोवस्ती, गैर मजरूआ, वन भुमि या किसी भी प्रतिबंधित सूची के तहत नहीं है ।

मैं लेख्यकारी यह **घोषणा** करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

विजय एडविन बाड़ा
6/6/23

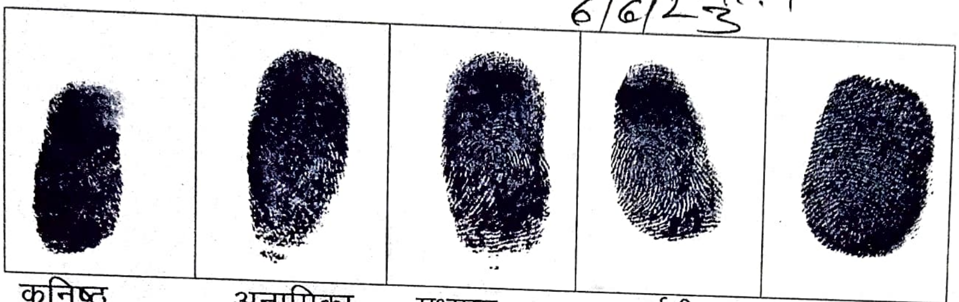

कनिष्ठ अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगुठा

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी के बांये हाथ का पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया

संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
6/6/23

मैं लेख्यधारिणी यह **घोषणा** करती हूँ कि पुर्व मे धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है,

पुष्पा निर्मला बाड़ा
6/6/23

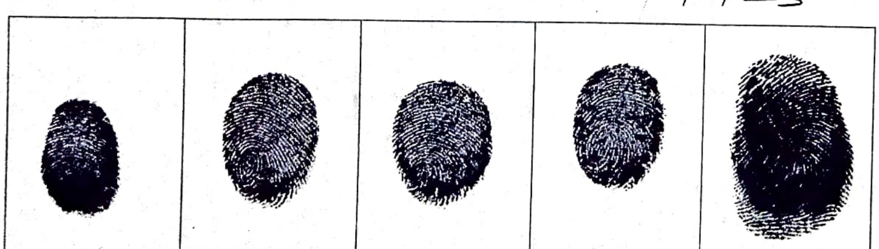

कनिष्ठ अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगुठा

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी के बांये हाथ का पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।

संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
6/6/23

विजय एडविन बाड़ा
6/6/23

पहचानकर्त्ता का सही [signature]
6/6/23

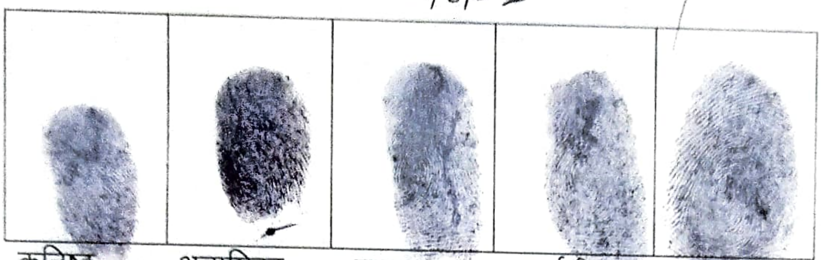

कनिष्ठ अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगुठा

प्रमाणित किया जाता है कि पहचानकर्ता के बाँये हाथ का पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।

संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
6/6/23

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/– संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
प्रारूपकर्त्ता
6/6/23

प्रमाणित किया जाता है कि यह विकय पत्र दस्तावेज कुल सात पन्नों का है जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक

मो० मकसुद
6-6-2023

मो0 मकसुद,
कचहरी परिसर, सिमडेगा ।

संलग्नक :–

1. मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
2. खतियान का छायाप्रति,
3. बिकेता के पैन कार्ड का छायाप्रति,
4. केता के पैन कार्ड का छायाप्रति,
5. शेडयुल का मूल प्रति,
6. आदेश एवं अंचल रिपोर्ट का सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि,
7. होल्डिंग टैक्स रसीद का छायाप्रति,
8. ट्रेस नक्सा का मूल प्रति,
9. सर्वे नक्सा का छायाप्रति ।

प्रमाणित किया जाता है कि क्रेता, विक्रेता एवं पहचान की स्व अभिप्रमाणित फोटोयुक्त छायाप्रति दस्तावेज के साथ संलग्न किया है या विवरणी दिया है तो पूर्ण रुप से सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं जालसाजी पाए जाने पर मैं स्वयं इसका जिम्मेदार रहूँगा।

विजय एडविन बाड़ा
13.06.2023